



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2196 ISEIAA/22

Date : 30/11/22

संशोधन-पत्र

प्रति,

मेसर्स वी.डी.एच, ईको-एनर्जी,
इंटरप्राइजेज़ प्रा.लि. निदेशक, श्री यशवर्धन राजगडिया,
निवासी 503, जॉली भवन नं. 01,
न्यू मरीन लाईन, जिला मुबंई (महाराष्ट्र)

विषय: प्रकरण क्र. 8828/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वी.डी.एच, ईको-एनर्जी, इंटरप्राइजेज़ प्रा.लि. निदेशक, श्री यशवर्धन राजगडिया, निवासी 503, जॉली भवन नं. 01, न्यू मरीन लाईन, जिला मुबंई (महाराष्ट्र) मार्बल पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 687, 688 भाग, 691, 692, 602/826, 693 व 605 भाग रकबा 7.310 हेक्टेयर, ग्राम निमास, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी (म.प्र.) की पर्यावरणी स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।


संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 757वीं बैठक दिनांक 18.11.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार।

".....प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 714वीं बैठक दिनांक 24.03.2022 में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 559वीं बैठक दिनांक 11.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 09.04.2022 पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय आनलाईन फार्म-2 में त्रुटिवश खसरा नं. 687, 688 भाग, 691, 692, 602/826, 693 व 605 भाग अंकित हो गया था जिसके कारण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में भी यही खसरा नं. अंकित हो गया है। उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म -10 में आवेदन करते हुये उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा नं. 687, 688 भाग, 691, 692, 602/826, 693 व 605 भाग के स्थान पर खसरा नं. 687, 688, 691, 692, 692/826, 693, 695 अंकित करते हेतु अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुये प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 09.04.2022 में उल्लेखित खसरा नं. 687, 688 भाग, 691, 692, 602/826, 693 व 605 भाग के स्थान पर खसरा नं. 687, 688, 691, 692, 692/826, 693, 695 पढ़ा जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।


उपरोक्त निर्णयानुसार प्रकरण में जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 09.04.2022 में उल्लेखित खसरा नं. 687, 688 भाग, 691, 692, 602/826, 693 व 605 भाग के स्थान पर खसरा नं. 687, 688, 691, 692, 692/826, 693, 695 पढा जाये एवं पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष सभी विशिष्ट व साधारण शर्तें यथावत रहेंगी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र. 2197 /SEIAA/2022 भोपाल
प्रतिलिपि :-

दिनांक 30/11/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी